



**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड**  
**शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ**

संख्या: 13-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013-88003

दिनांक: 07 मई, 2013

**कार्यालय ज्ञाप**

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवण्टित किया जाता है:-

| क0<br>सं0 | नाम/<br>अभि0सं0/गृह जनपद<br>सेवानिवृत्ति का दिनांक | वर्तमान तैनाती का<br>कार्यालय/स्थान                                                     | स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का<br>नाम |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                                | (3)                                                                                     | (4)                                         |
| 1         | श्री अजय कुमार सिंह<br>88003/आजमगढ़<br>31.05.2023  | अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध<br>निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण<br>निगम लि0, लखनऊ। | पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।       |

- 2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- 3- उपरोक्त अधिकारी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के कारण उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
- 5- कारपोरेशन के का0ज्ञा0सं0-505-ज0श0एवंप्र0सु0-01/पाकालि/13-21-प्र0सु0/2001 दिनांक 4-5-2013 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेशों में नियमानुसार यथा वॉछित कार्योत्तर अनुमोदन/पूर्वानुमोदन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा गठित द्वि-सदस्यीय समिति से, सम्बन्धित वितरण निगमों द्वारा ही प्राप्त किया जायेगा।
- 6- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- 7- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

**प्रबन्ध निदेशक**

संख्या: 13(1) अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,



(सत्यानन्द दीक्षित)

उप सचिव

